

## भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव का एक अध्ययन

डॉ. राकेश चन्द्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)

राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश

[rakesh7916378@gmail.com](mailto:rakesh7916378@gmail.com)

सारांश, भारत में, महिलाओं के खिलाफ अपराध लंबे समय से एक बड़ी राजनैतिक समस्या ही बनी रही है जिस पर ध्यान देने की अब आवश्यकता है। इसको लेकर जो कुछ लोग लिंग संबंध को महिलाओं से श्रेष्ठ मानते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में काफी हद तक योगदान भी देते दिखते हैं। अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा इतना बड़ा और व्यापक है, और इस पर अधिक ध्यान देने और इसके प्रति लोगो में सच्चे अनुपालन की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा में खतरनाक वृद्धि हुई है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के पैटर्न और राजनीति से प्रभावित कारणों का अध्ययन करना और इसमें राजनीति की क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन करना अब अति आवश्यक हो गया है। अब भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति क्या है, और इसमें योगदान देने वाले राजनैतिक तत्वों को समझने के लिए, ही इस शोध पत्र को तैयार किया गया है। नारीवादी सिद्धांत के अनुसार घरेलू हिंसा महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक व्यवस्थित तरीका है, जो पुरुष श्रेष्ठता और महिला हीनता, सेक्स स्टीरियोटाइपिकल भूमिकाओं और अपेक्षाओं और पुरुषों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सर्वोच्चता और महिलाओं की निर्भरता पर आधारित है। पुरुषों पर उनकी आर्थिक निर्भरता के कारण, महिलाएं पुरुषों के आक्रामक व्यवहार से बचने में असमर्थ हैं। पुरुषों की बेहतर शारीरिक ताकत उन्हें हिंसा के माध्यम से महिलाओं पर हावी होने में सक्षम बना सकती है। नारीवादी बलात्कार और महिलाओं पर अन्य यौन हमलों को जुनून की कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि एक हिंसक सामाजिक बयान के रूप में देखते हैं, यानी महिलाओं को नियंत्रित करने का एक साधन। परिवार प्रणाली सिद्धांत बच्चे द्वारा पर्यावरण की धारणा और उसके प्रति उसका दृष्टिकोण, परिवार से काफी प्रभावित होता है। परिवार प्रणाली सिद्धांत के अनुसार, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हिंसक आचरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। गलत धारणाओं, अवज्ञा, उच्च अपेक्षाओं और वित्तीय तनाव के परिणामस्वरूप पारिवारिक संघर्ष व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रतीत होता है जिसे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हिंसा माना जाता है। हिंसक प्रवृत्ति, ईर्ष्या, अपरिपक्वता या उत्पीड़क और पीड़ित दोनों की संदिग्ध प्रकृति जैसी व्यक्तिगत विशेषताएँ इसके बाद आती हैं।

**मुख्य शब्द,** नारीवाद, लिंग असमानता, महिलाओं की स्थिति, पारिवारिक, सामाजिक संरचना, आदि।

**परिचय,** महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया में सबसे जघन्य, व्यवस्थित और प्रचलित मानवाधिकार हनन में से एक के रूप में जारी है। यह सभी महिलाओं के लिए अब एक गम्भीर खतरा हो गया है, और सभी समाजों में विकास, शांति और लैंगिक समानता के लिए हमारे सभी प्रयासों में बाधा एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमेशा मानवाधिकारों का उल्लंघन ही होती है यह हमेशा एक गम्भीर अपराध है और यह हमेशा संयुक्त राष्ट्र सचिव के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ राजनैतिक अपराध हमेशा उन गम्भीर मुद्दों में से एक रहता है, जिन पर ध्यान देने की अब अति आवश्यकता है।<sup>1</sup> इसी कारण महिलाओं को आम जनता और समाज द्वारा दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाता है। भारतीय मानव जहां महिलाओं को देवी दुर्गा, सरस्वती, पार्वती और काली की पूजा और प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं मनुष्य बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, सती, यौन उत्पीड़न और दहेज के माध्यम से उनका दुरुपयोग भी करते हैं। लिंग संबंध जो पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान करते हैं महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को देखते हुए, बहुत सी लैंगिक हिंसाओं को सामान्य और सामाजिक रूप से स्वीकृत माना जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अर्थपूर्ण परिभाषा महिलाओं के लिए शारीरिक या मानसिक हिंसा है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध का तात्पर्य विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध किए गए गम्भीर अपराधों से एक है, जिसमें केवल महिलाएँ ही पीड़ित होती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शब्द को परिभाषित करना भी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की शारीरिक शत्रुता या दुर्भ्यवहार को हिंसा माना जाता है, जिसे दस प्रकार के दुर्भ्यवहार के रूपों में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा तब होती है जब घर पर हिंसा की जाती है और इसमें परिवार के सदस्य जैसे बच्चे, पति-पत्नी, माता-पिता या नौकर शामिल रहते हैं।<sup>2</sup> चूँकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुद्दा बहुत बड़ा और व्यापक होता है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने और अनुपालन की आवश्यकता भी होती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में महिलाओं पर शारीरिक, यौन, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमला करना शामिल ही होता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भारत के राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के स्थानिक वितरण का अध्ययन करना है। विभिन्न स्थानों के बीच अपराध दर में क्या अंतर है, क्यों कुछ स्थानों को सुरक्षित माना जाता है जबकि अन्य को असुरक्षित। भारत की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य प्रणाली सभी समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में दुनिया के सबसे व्यापक महिला अधिकार कानूनों में से एक है। हाल के वर्षों में देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होगी, जो यह दर्शाता है कि हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।<sup>3</sup>

### **भारतीय महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध,**

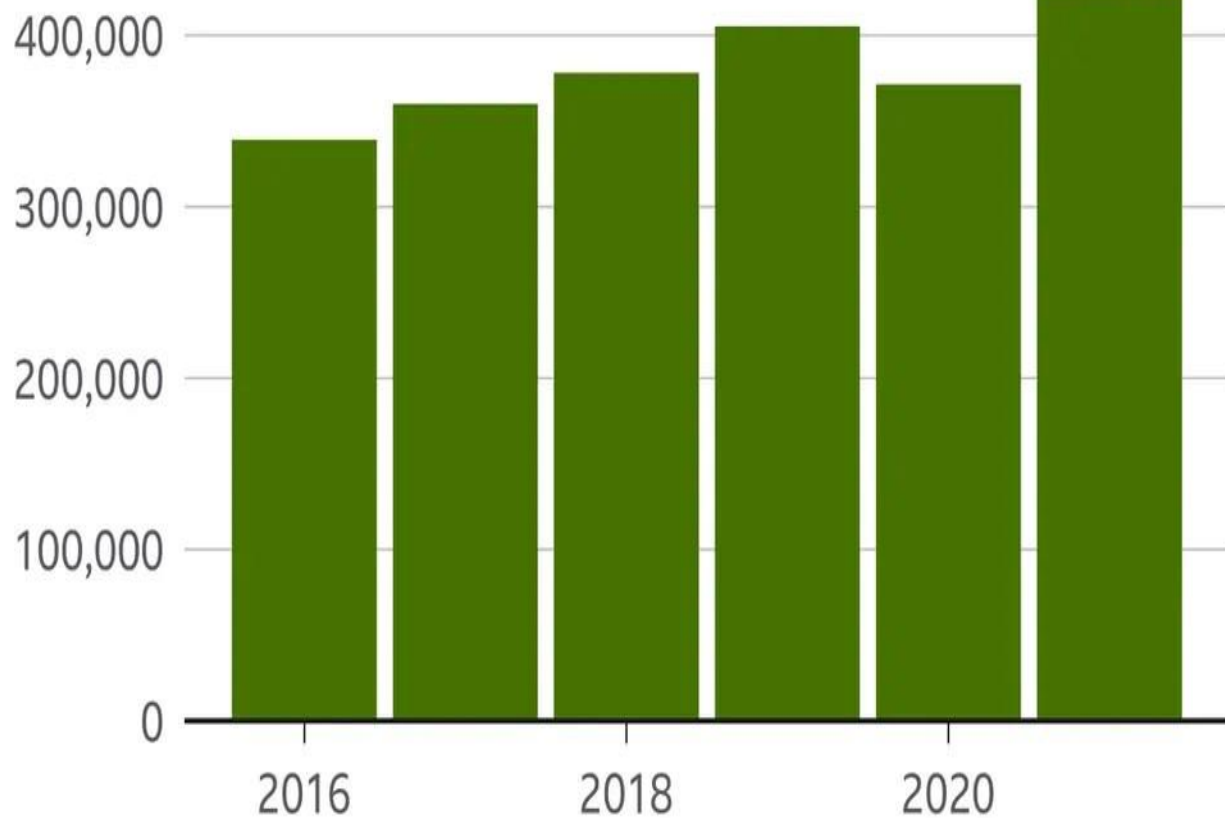
भारत के 75 वें दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के प्रति मनुष्य की मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया और भारतीय नागरिकों से महिलाओं के प्रति जो घृणा है उससे लड़ने के लिए कहा, और यह सुझाव भी दिया, कि अब मानवीय आचरण में एक विकृति आ गई है और हम कई बार महिलाओं का अपमान

करते हैं। क्या हम अपने व्यवहारों में इस विकृति से छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं, इन्होंने लोगों से यह आग्रह भी किया कि रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को अपमानित करने वाली हर चीज से छुटकारा पाने का दृढ़ संकल्प अब लेना चाहिए यह पहली बार नहीं था जब श्री मोदी ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान के बारे में बात की थी।

2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस पर उनके भाषण में भी इन्होंने भारत में होने वाले बलात्कार की निंदा करते हुए कहा था कि जब हम इन बलात्कारों के बारे में सुनते हैं, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के आठ साल बाद, डेटा दिखाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अभी भी जारी हैं।<sup>4</sup> यह संख्याएँ साल-दर-साल लगातार बढ़ रही हैं, और सत्ताधारी लोग इन अपराधों में शामिल भी हैं। लेकिन अपने दल के सर्वोच्च नेता होने के बाद भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, सिवाय 2020 के जिस साल कोविड-19 महामारी ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया था और सख्त लॉकडाउन ने देश को महीनों तक बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसने महिला अपराध के डेटा संग्रह को भी प्रभावित किया है। वर्ष 2021 में जिसके लिए सरकार ने अपराध डेटा जारी किया भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। इसे देखकर सत्ताधारी राजनैतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ता महिलाओं के खिलाफ ग्राफ गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इस पर अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बेहतर रिपोर्टिंग हो रही है और ज्यादा लोग मामले दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जा रहे हैं।

मैंने अपने इस शोध पत्र को पूरा करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में डेटा को पिछले छह वर्षों की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट का विश्लेषण किया और मैंने जो पाया, वह इस प्रकार है।<sup>5</sup>

## Incidents of crimes against women highest in 6 years



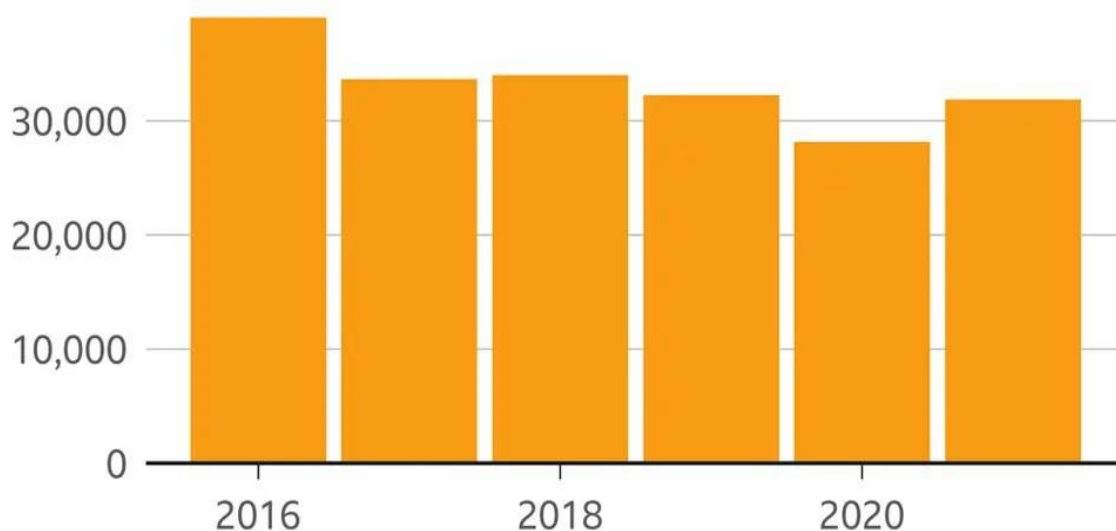
Source: National Crime Records Bureau (2016-2021)



पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच भारत में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए छह मिलियन अपराधों में से 428,278 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित थे। यह छह वर्षों में 26.35% की वृद्धि है – 2016 में 338,954 मामलों से। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में अधिकांश मामले अपहरण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और हमले के थे। साथ ही, 107 महिलाओं पर तेजाब से हमला किया गया, 1,580 महिलाओं की तस्करी की गई, 15 लड़कियों को बेचा गया और 2,668 महिलाएं साइबर अपराध की शिकार हुईं। 56,000 से अधिक मामलों के साथ, उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश, जो 240 मिलियन लोगों के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, एक बार फिर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान में 40,738 मामले और महाराष्ट्र में 39,526 मामले हैं।<sup>6</sup>

## बलात्कार की राजधानी

### After a drop in 2020, rape cases spike again

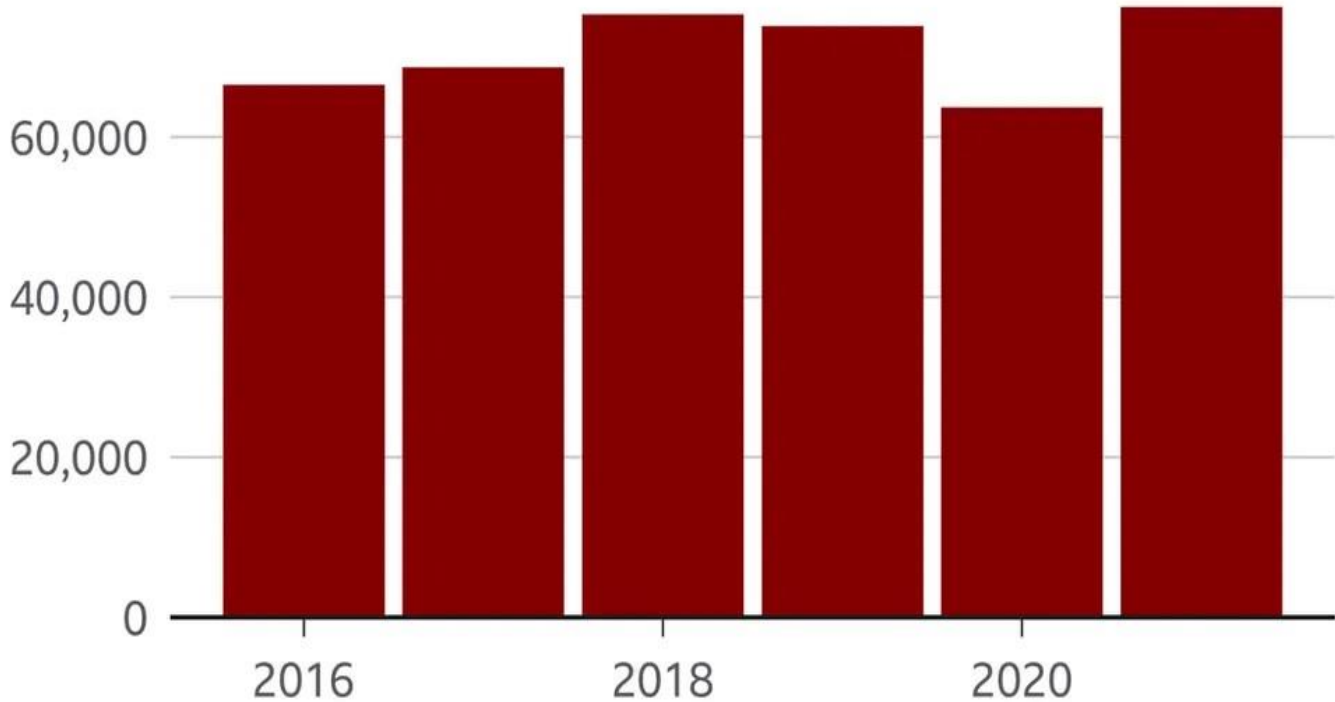


Source: National Crime Records Bureau (2016-2021)

BBC

पिछले साल, पुलिस ने 31,878 बलात्कार दर्ज किए – ये संख्या पिछले साल (28,153) की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन 2016 में बलात्कार की शिकार 39,068 महिलाओं की तुलना में, इसमें 18% की गिरावट देखी गई। हर साल हजारों बलात्कार के मामले दर्ज होने के कारण, भारत को दुनिया की बलात्कार राजधानी का नाम मिला है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत अपवाद है कई देशों में बलात्कार की संख्या बराबर या उससे ज्यादा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि इसलिए खराब होती है क्योंकि पीड़ितों और बच्चे लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार राजनैतिक लोगो द्वारा किया जाता है, उन्हें समाज द्वारा कलंकित किया जाता है, और अक्सर पुलिस और न्यायपालिका द्वारा भी उन्हें शर्मिदा ही किया जाता है। हाल ही में, एक मुस्लिम महिला जिसका 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया था और जिसने अपने परिवार के 14 सदस्यों को हिंदू पड़ोसियों द्वारा मारे जाते देखा था, ने अपने बलात्कारियों के जेल से रिहा होने के बाद अपने तीखे दर्द के बारे में बताया। बिलकिस बानो के साथ हुए अनुचित व्यवहार की कहानी ने वैश्विक सुर्खियाँ बटोरीं, जिससे यह धारणा और भी पुष्ट हुई कि भारत में अक्सर लोग अपनी महिलाओं के प्रति निर्दयी है।<sup>17</sup>

## Kidnappings and abductions

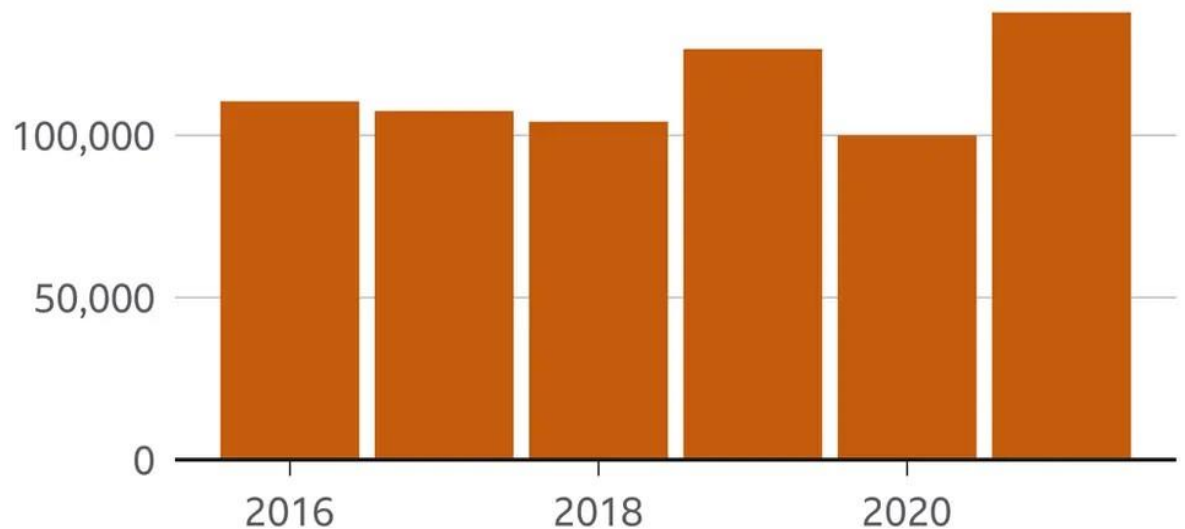


Source: National Crime Records Bureau (2016-2021)



नवीनतम आंकड़ों में महिलाओं के अपहरण और अपहरण के 76,263 मामले दर्ज किए गए हैं – जो 2016 में 66,544 से 14% अधिक है। कुछ अपराध हत्या, फिरौती से जुड़े थे और कई वेश्यावृत्ति और घरेलू काम के लिए तस्करी किए गए थे। लेकिन अपहृत महिलाओं में से अधिकांश 28,222 को विवाह के लिए मजबूर करने के लिए ले जाया गया था। इस पर विशेषज्ञों का यही कहना है कि इनमें से कई मामले झूठे हैं और उन महिलाओं के परिवारों द्वारा दर्ज किए गए हैं जो माता-पिता की अस्वीकृति के बावजूद अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं। घर का दुश्मन घर के अंदर हिंसा को ज्यादातर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के कानूनी शब्द के तहत दर्ज किया जाता है और यह लगातार भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक दर्ज किया जाने वाला हिंसक अपराध रहा है।<sup>8</sup>

## Victims of cruelty by husband or his relatives

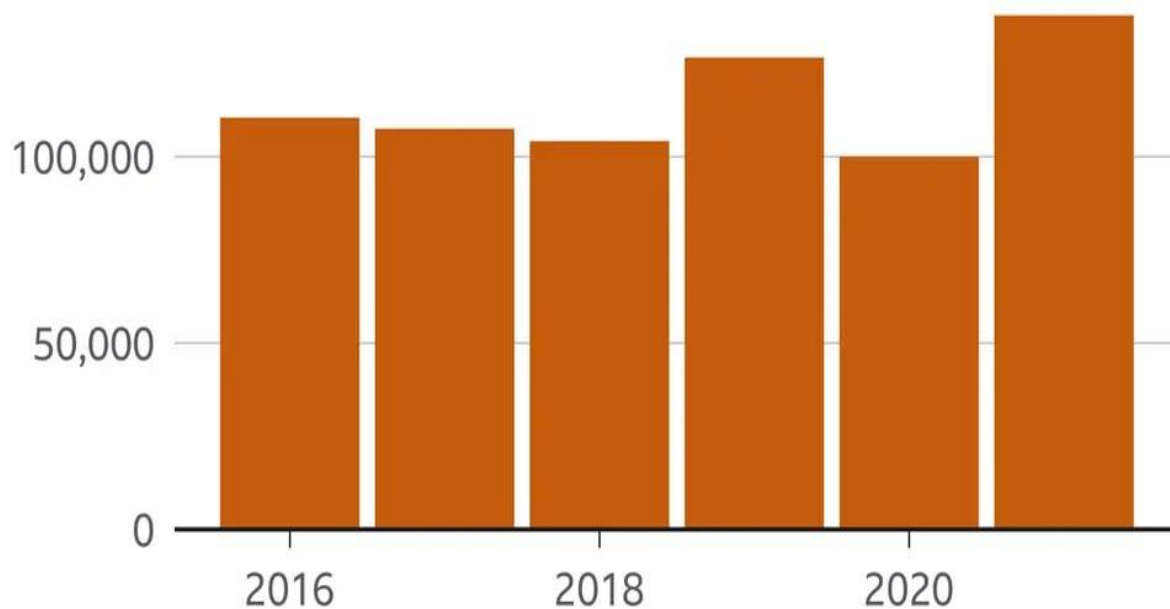


Source: National Crime Records Bureau (2016-2021)

**BBC**

2021 में, पुलिस को 137,956 महिलाओं से शिकायतें मिलीं – जो हर चार मिनट में लगभग एक के बराबर है। यह 2016 से 27% अधिक है जब 110,434 महिलाओं ने पुलिस की मदद मांगी थी। ऐसी हिंसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है – विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का सामना करती है और भारत के लिए भी यह संख्या लगभग समान है। लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है, वह है घर में हिंसा के लिए चुप्पी, यहाँ तक कि स्वीकृति भी।<sup>9</sup> हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण में 40% से अधिक महिलाओं और 38% पुरुषों ने बताया कि अगर कोई पत्नी अपने ससुराल वालों का अनादर करती है, अपने घर या बच्चों की उपेक्षा करती है, बिना बताए बाहर जाती है, सेक्स से इनकार करती है या ठीक से खाना नहीं बनाती है, तो पुरुष द्वारा उसकी पिटाई करना ठीक है। कभी भी खुशहाली नहीं मिलती भले ही भारत ने 1961 में दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया हो, लेकिन दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को नकद, सोना और अन्य महंगी चीजें उपहार में देने की सदियों पुरानी परंपरा अभी भी जारी है। हाल ही में विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण भारत में 95% विवाहों में दहेज दिया जाता है। अभियानकर्ताओं का कहना है कि नई दुल्हनों को अक्सर पर्याप्त दहेज न लाने के लिए परेशान किया जाता है और हर साल हजारों दुल्हनों को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा मार दिया जाता है। अधिकांश को जलाकर मार दिया जाता है और हत्याओं को रसोई दुर्घटना बताकर टाल दिया जाता है।

## Victims of cruelty by husband or his relatives



Source: National Crime Records Bureau (2016-2021)

BBC

1983 में, भारत ने दहेज हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त नया कानून — धारा 498 पेश किया, लेकिन हर साल भारत में हजारों दुल्हनों की हत्या होती रहती है। पिछले साल, पुलिस ने 6,795 दहेज हत्याएँ दर्ज कीं या औसतन, हर 77 मिनट में एक यह संख्या 2016 की तुलना में 10.92% बेहतर है, जब पुलिस ने 7,628 दहेज हत्याएँ दर्ज की थीं।<sup>10</sup>

**शोध पत्र के उद्देश्य,** महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के पैटर्न और इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों? महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा और रिश्तों में अन्य प्रकार की हिंसा पर कई सिद्धांत हैं। इसके बावजूद, कोई भी एकल सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को पर्याप्त रूप से नहीं समझा सकता है। लेकिन कुछ मौजूदा सिद्धांतों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का उपयोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध 159 नारीवादी सिद्धांत 1970 के दशक में महिलाओं के लिए जोरदार राजनीतिक आंदोलन के दौरान, नारीवादी सैद्धांतिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। नारीवादी दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य लिंग, वर्ग और यौन अभिविन्यास के संदर्भ में महिलाओं के उत्पीड़न को समझना और संबोधित करना है, यही अवधारणा भी है कि सभी हिंसा असमान शक्ति संबंधों का प्रतिबिंब है, और यह कि घरेलू हिंसा समाज में या उनके व्यक्तिगत संबंधों में पुरुषों और महिलाओं की असमान शक्ति का प्रतिबिंब है, वहीं नारीवाद व्याख्याओं के केंद्र में है। नारीवादी विचारकों के अनुसार घरेलू हिंसा की उत्पत्ति समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे में निहित है, जो महिलाओं



पर पुरुष के प्रभुत्व को प्रोत्साहित करती है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के इन सभी अपराधियों की जड़ें परिवार की आंतरिक संरचना में हैं। पारिवारिक संरचना, इसकी अंतर्निहित पदानुक्रमिक संरचना और श्रम के यौन विभाजन के साथ, पारिवारिक प्रणाली की संरचना को बनाए रखने और सौंपी गई भूमिका की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उपयोग के लिए उपजाऊ जमीन है।<sup>11</sup> सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रतिमान मानता है कि आपराधिक हिंसा को समझने का सबसे अच्छा तरीका बाहरी पर्यावरणीय तत्वों को देखना है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत रोजमर्रा की उन अंतःक्रियाओं को भी देखते हैं जो हिंसा की ओर ले जाती हैं, जैसे तनावपूर्ण स्थितियाँ या पारिवारिक अंतःक्रियात्मक पैटर्न। कुंठा-आक्रामकता सिद्धांत 1939 में डॉलार्ड एट अल. ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारण को समझने के लिए कुंठा-आक्रामकता सिद्धांत को सामने रखा। यह उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है जिसके द्वारा कुंठा और आक्रामकता के बीच संबंध देखा जाता है। जब कोई चीज किसी व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में बाधा बनती है, तो वह चिढ़ जाता है, और कुंठा हिंसा की ओर ले जाती है, आक्रामकता को शारीरिक या मौखिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। परिणाम स्वरूप, निराशा-शत्रुता की परिकल्पना पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि आक्रामकता हमेशा निराशा के कारण पर लक्षित नहीं होती है, बल्कि अक्सर किसी अन्य वस्तु पर निर्देशित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गलत दिशा में आक्रामकता होती है। इसकी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि निराशा और आक्रामकता के बीच संबंध जन्मजात नहीं है निराशा से कई तरह की प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं, और आक्रामकता केवल एक ही नहीं है और अब आक्रामकता एक अनुकूली प्रतिक्रिया और व्यवहार का एक उचित विकल्प हो सकता है। इस परिकल्पना के खिलाफ दिया गया एक और तर्क यह है कि व्यवहार जैविक और पर्यावरणीय तत्वों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, न कि पशु सहज या जन्मजात व्यवहार का विस्तार। किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है।<sup>12</sup>

संघर्ष सिद्धांत आर्थिक संसाधन असमानताएं और परिवार और समुदाय में शक्ति के विभेदक वितरण को संघर्ष सिद्धांतकारों द्वारा महिलाओं और कमजोर लोगों के खिलाफ हिंसा के कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह सिद्धांत पुरुषों और महिलाओं के बीच मौलिक अंतःक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जो असमानता को ही दर्शाता है, अर्थात्, ऐसे माहौल में राजनैतिक पुरुष हावी होते हैं-महिलाएं हावी नहीं होती हैं, पुरुष शोषण करते हैं-महिलाओं का शोषण होता है और पुरुष नियंत्रित करते हैं, महिलाएं नियंत्रित होती हैं। मनोरोग/मनोविकृति सिद्धांत 1960 के दशक में बाल शोषण के रहस्योद्घाटन के साथ मनोरोग / मनोविकृति प्रतिमान, जिसे अक्सर चिकित्सा मॉडल के रूप में जाना जाता है, उभरा। मनोविकृति विज्ञान के अनुसार, पारिवारिक हिंसा व्यक्ति की मनोविकृति का परिणाम है, जो मानसिक बीमारी, व्यक्तित्व विकार और शराब के कारण होती है असमान शक्ति वितरण, पारिवारिक संरचना, पितृसत्ता और महिलाओं और पुरुषों की निर्भरता सभी ने महिलाओं के लिए ऐसी दयनीय स्थितियों में योगदान दिया है। निराशा-आक्रामकता सिद्धांत, आत्म-सम्मान सिद्धांत और तनाव सिद्धांत धारणाएँ केवल पुरुषों के प्रभुत्व के आधार पर परिदृश्य को समझने का प्रयास कर रही हैं, यदि उनके स्पष्टीकरणों को ध्यान

में रखा जाए, तो इसका परिणाम न केवल महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होना चाहिए, बल्कि पुरुषों के विरुद्ध भी होना चाहिए। महिलाओं को निराशा-आक्रामकता, तनाव और कम आत्मसम्मान का अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या यह उसी तरह से हिंसा का कारण बन सकता है, जैसा कि पुरुषों के लिए होता है। परिणाम और चर्चा अपराध दर केवल दर्ज मामलों, दर्ज की गई एफआईआर और दी गई सजा की संख्या से ही जानी जा सकती है, ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनका उपयोग करके हम अपराध दरों के बारे में एक विचार प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि ये हमें वास्तविक और पूर्ण आंकड़े कभी नहीं दे सकते क्योंकि कई अपराध होते हैं और विभिन्न कारणों से कभी भी कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं होते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो पंजीकृत डेटा पूर्ण आंकड़ों से बहुत कम है यह देखा गया है कि महिलाएँ कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति कम समझ रखती हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले हैं, चाहे दहेज के कारण हो या किसी अन्य मुद्दे के कारण, इसमें शामिल लोग परिवार के ही लोग होते हैं, जिससे उनके लिए शिकायत दर्ज कराना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बलात्कार, छेड़छाड़ के मामलों में, समाज शिकायत दर्ज करने में समस्या पैदा करता है, क्योंकि पीड़ित को कई तरह की सामाजिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के निपटान पर डेटा लिया किया गया है, फिर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में लिंग-वार भागीदारी को समझने के लिए, गिरफ्तार किए गए पुरुष और गिरफ्तार की गई महिला के निपटान पर पंजीकृत डेटा का उपयोग किया गया है।<sup>13</sup>

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्शाता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या राज्यों में किस प्रकार भिन्न है। यह महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तता के कारण प्रति लाख जनसंख्या पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और असम में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के उच्च निपटान दर वाले राज्य हैं। यहाँ महिलाओं के विरुद्ध किसी न किसी प्रकार के अपराध को कम करने के लिए गिरफ्तार किए गए पुरुषों के निपटान को दर्शाया गया है, मानचित्र से यही पूर्ण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्यों में पुरुषों के निपटान की दर कम है, कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जहाँ महिला अपराध के लिए पुरुषों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में संलिप्तता के कारण प्रति लाख महिला जनसंख्या पर गिरफ्तार की गई महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, मध्य भारतीय राज्यों में गिरफ्तार की गई महिलाओं के निपटान की दर उच्च है। देश के अन्य भागों जैसे उत्तर, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भागों में महिलाओं के निपटान की दर कम से मध्यम है। अब, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के निपटान के मामले में यहाँ देखी गई स्थानिक भिन्नता को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, इस प्रकार स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और अपराध की परिवर्तनशील दर वाले क्षेत्रों में प्रचलित कारक भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।<sup>14</sup>

**निष्कर्ष,** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, यातना, बलात्कार और घरेलू हिंसा के रूप में भारी वृद्धि दर्शाती है। लैंगिक असमानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गहरे कारणों

में से एक सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारक पितृसत्ता को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुख्य कारण बताया गया है। जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनके पतियों से कम होती है वहाँ हिंसा का जोखिम अधिक होता है। पारिवारिक कारक बचपन में कठोर शारीरिक अनुशासन का सामना करना और बचपन में पिता को माँ को पीटते देखना वयस्कता में पत्नी के खिलाफ हिंसा के शिकार होने और उसे अंजाम देने का पूर्वानुमान है। पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ एक असंवेदनशील, अक्षम, भ्रष्ट और गैर-जवाबदेह न्यायिक प्रणाली और कानून प्रवर्तन मशीनरी विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने में विफल रहती है। महिलाओं के खिलाफ विभिन्न रूपों में हिंसा मानवाधिकारों का ही उल्लंघन है, जिसकी प्रकृति ही महिलाओं को मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने की उनकी क्षमता से वंचित करती है। चुप्पी तोड़ने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दा है जो पुरुषों को भी चिंतित करता है। जबकि पुरुष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों में बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका तत्काल समाधान होना चाहिए और महिलाओं को लोग सम्मान दें और सत्ताधारी लोगो की जिम्मेदारी अधिक होती हैं जितने सत्ताधारी राजनैतिक लोग महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल है मोदी जी को उनकी सदस्यता कैंसिल करके नए लोगो को राजनीति में लाना चाहिए। जिससे महिलाओं को उचित सम्मान मिल सके जिसकी महिला हकदार है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 डी. राधा, विभिन्न युगों के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जे. बेसिक एप्लाइड रिस. इंटर., खंड 9, पृ. 149–153, 2019
- 2 डी. स्टीफेंसमेयर और ई. एलन, लिंग और अपराध महिला अपराध के लिंग आधारित सिद्धांत की ओर, एनु. रेव. सोशियोल., खंड 22, पृ. 459–487, 1996,
- 3 आर. आहूजा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पृ. 167–168, 1987.
- 4 एम. आर. कलैयारसी, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, खंड 20, संख्या 2, पृ. 51–55, 2019,
- 5 एन. टंडन, नारीवाद एक प्रतिमान बदलाव, पृ. 23–24, 2008.
- 6 के. हीली, सी. स्मिथ, और सी. ओशसुलिवन, बैटरर हस्तक्षेप कार्यक्रम दृष्टिकोण और आपराधिक न्याय रणनीतियाँ, बैटर। इंटरव. प्रोग्र. दृष्टिकोण क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रैटेजी, पृ. 1–253, 1998
- 7 एस. आर. राजलक्ष्मी, परिवार में हिंसा अंदर से एक दृश्य, इंडियन जे. सोक. वर्क, खंड 62, पृ. 388, 2001.

- 8 आर. आर. डॉलार्ड, जे., मिलर, एन. ई., डूब, एल. डब्ल्यू., मोवर, ओ. एच., और सियर्स, हताशा और आक्रामकता. न्यू हेवन,. सीटी येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1939
- 9 सी. एम. रेन्जेटी, पुरुष धारा के हाशिये पर (या, वे अभी भी इसे नहीं समझते हैं, क्या वे?) आपराधिक न्याय शिक्षा में नारीवादी विश्लेषण, जे. क्रिम. जस्टिस एडुक., खंड 4, संख्या 2, पृष्ठ 219–234, 1993,
- 10 डी. फिंकलहोर, परिवारों का अंधेरा पक्ष वर्तमान पारिवारिक हिंसा अनुसंधान, पृष्ठ 384, 1981
- 11 आर. जे. गेल्स, पारिवारिक हिंसा, एनु. रेव. सोशियोल., खंड 11, पृष्ठ 347–367, 1985,
- 12 डी.आर.ई. और डी. आर.पी., "घरेलू हिंसा के सिद्धांत और कारण," पत्नियों के खिलाफ हिंसा",
- 13 बी. दयाल और एन. सिंह, "महिलाओं के खिलाफ अपराध और सामाजिक बुराईयाँ एक अवलोकन," मई, 2014
- 14 एस.एस. धर, "महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक वैचारिक विश्लेषण," एकेड. लॉ रेव., खंड 31, संख्या (1 और 2), पृष्ठ 112, 2007।